(7) प्रीमियम की गणना :

प्रीमियम की गणना कुल अवधि के लिए 1) कार्य के प्रारंभ से अथवा 2) कार्यस्थल पर पहले कनसाइनमेंट के उत्थापन के पहुंचने की तारीख से, जो भी जल्दी हो, की जाएगी ।

(8) पॉलिसी अवधि के दौरान मध्यावधि बढ़ोत्तरी :

ऐसे मामलों में अतिरिक्त बीमित राशि पर, कान्ट्रैक्टर सर्व जोखिम पर लागू दरों पर शुरुआती अवधि से लघु अवधि आधार पर प्रीमियम लेना चाहिए ।

(9) रु. 100 करोड़ की बीमा राशि वाली पॉलिसियों के लिए तथा रु. 100 करोड़ से अधिक की बीमा राशि वाली पॉलिसियों के लिए एड-ऑन कवर अलग-अलग हैं ।

(10) तृतीय पक्ष दायित्व

क) रु. 10 करोड़ तक की बीमा राशि वाली पॉलिसियों के लिए तृतीय पक्ष दायित्व रु. 1 करोड़ तक रहेगा ।

ख) रु. 10 करोड़ से अधिक तथा रु. 100 करोड़ तक की बीमा राशि वाली पॉलिसियों के लिए पूर्णतः छूट प्राप्त मूल्य का 10% अथवा रु. 10 करोड़, जो भी कम हो । उक्त उल्लिखित सीमाओं से अधिक के तृतीय पक्ष दायित्व बीमा का बीमालेखन विविध विभाग में किया जाना चाहिए । उक्त के घटित होने पर तृतीय पक्ष दायित्व आवरण की बीमा राशि को पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता ।

(11) पॉलिसी अवधि के बाद के परिकलन के लिए दर भिन्न हैं । विस्तारण दरों पर छूट और लोडिंग विस्तारण दरों के अनुसार लागू होगा । यदि दावा अनुपात 60% से अधिक हो तो तकनीकी छूट देने की अनुमति नहीं है ।

(12) परियोजना जल्दी पूरी हो जाने पर प्रीमियम की वापसी अनुमत हैं बशर्ते बीमा आवरण की अवधि 18 महीने और उससे अधिक समय की हो ।

अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीक के न्यू इंडिया एश्योरंस कं. लि. के कार्यालय से संपर्क करें ।

कानूनी व्याख्या के लिए अंग्रेजी अवतरण मान्य होगा ।

"बीमा आग्रह की विषय वस्तु है"

(7) Computation of Premium :

Premium shall be computed for the total period commencing from 1) Commencement of Work or 2) Date of arrival of the first consignment at the site of erection whichever is earlier.

(8) Mid-term increase during policy period :

The premium should be collected on the additional sum insured at applicable CAR rates, on short period basis from inception period.

(9) The ADD-ON-COVER for policies with sum insured upto Rs. 100 corers and more than Rs. 100 corers are different.

(10) Third Party Liability

a) For policies with sum insured upto Rs. 10 corers TPL will be upto Rs. 1 corer.

b) For policies with sum insured above Rs. 10 corers upto Rs. 100 corers at 10% of completly exempted value or Rs. 10 corers whichever is lower. Third Party Liability Insurence in excess of above mentioned limits should be underwritten in the Miscellaneous Dept. The sum insured for TPL cover cannot be reinstated after occurrence of above.

(11) The rates for calculation beyond policy period are different. The discounts and loading on extention rates will be applicable on extention rates if claim ratio is more than 60%, the technical discount cannot be allowed.

(12) The refund of premium for early completion of the project is allowed for the period of inssurance cover is 18 months and above.

For further details contact your nearest NIA Office.

For legal interpretation English version will hold good.

"Insurance is the subject matter of Solicitation"

दि न्यू इंडिया एश्योरंस कं. लि. सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा अनुभवी गैर जीवन बीमा कंपनी है, जिसके 1100 प्रचालन कार्यालय हैं और भारत की समस्त कंपनियों की अग्रणी इस कंपनी ने विविध उत्पादों की लंबी सूची के साथ ही भारत की पहली एयर लाइन से लेकर उपग्रह तक का बीमा किया है और इसका प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है ।

The New India Assurance Co. Ltd. is the largest and the oldest non-life insurance company with more than 1100 operating offices and is a pioneer among Indian Companies, insuring the first domestic air-line to satellite with an array of products and having its Head Office at Mumbai.

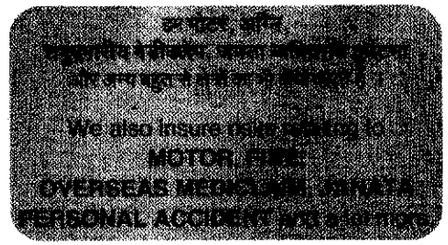

अग्रणी कंपनी का आश्वासन
ASSURANCE OF THE LEADER

दि न्यू इन्डिया एश्योरंस कंपनी लिमिटेड
THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LTD.
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन / Wholly owned by the Govt. of India)

भारत की अग्रणी गैर-जीवन बीमा कंपनी
India's Premier Non-Life Insurance Company

एजेंसी विभाग
मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय - I
न्यू इन्डिया भवन, 34/38, बैंक स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400 023.

Agency Cell
Mumbai Regional Office - I
New India Bhavan, 34/38, Bank Street, Fort, Mumbai - 400 023.
(आई.आर.डी.ए. पंजीकरण संख्या / IRDA Registration No. : 190)
CIN No. : U99999 MH1919 GOI 000526
Website : www.newindia.co.in

Vaikunth Prints
vaikunth_p2009@yahoo.in

कॉन्ट्रैक्टरस् के लिए संपूर्ण
सुरक्षा
Overall
SURAKSHA
for Contractors'

हम कॉन्ट्रैक्टरस्
की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं
We ensure that
Contractors'
is Secured

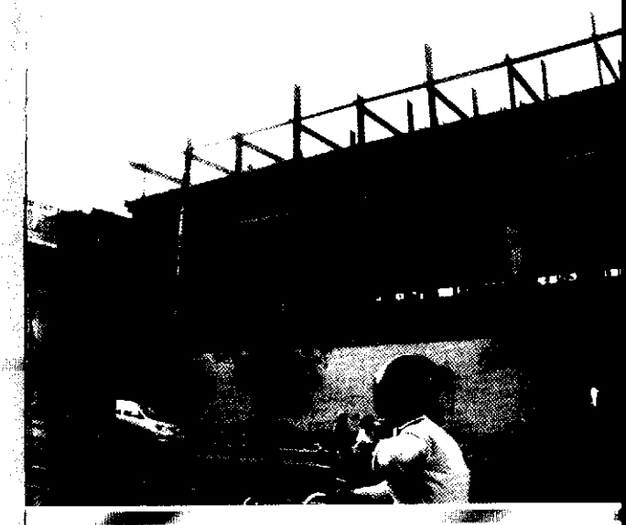

दि न्यू इन्डिया एश्योरंस कंपनी लिमिटेड
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)
भारत की अग्रणी गैर-जीवन बीमा कंपनी
THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LTD.
(Wholly owned by the Govt. of India)
India's Premier Non-Life Insurance Company

कॉन्ट्रैक्टर सर्व जोखिम (सी ए आर)

(1) परिचय :

कॉन्ट्रैक्टर सर्व जोखिम पॉलिसी की आधारभूत अवधारणा, कॉन्ट्रैक्ट कार्य, संयंत्र निर्माण और उपकरण और निर्माण मशीनरी की हानि या क्षति के साथ साथ सिविल इंजीनियरिंग परियोजना का कार्यान्वयन करते समय उससे तृतीय पक्ष की संपत्ति की हानि या शारीरिक चोट से उत्पन्न दावों के विरुद्ध बहुव्यापी और पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना है ।

साधारण तौर पर एक सिविल इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर, प्रमुख या मृदा स्थितियों, मौसम स्थितियों इत्यादि द्वारा प्रदान की गई डिजाइन विशिष्टताओं के आधार पर कार्य करता है । कॉन्ट्रैक्टर से वास्तुशिल्पी या इमारत निर्माण इंजीनियर द्वारा विहित सामान के लिए दिए गए निर्देशों और ड्राइंग के आधार पर सिविल इंजीनियरिंग ढांचे का निर्माण करने की अपेक्षा की जाती है ।

निर्माण कार्य के दौरान, निर्माण कार्य को किसी कारण से हानि या क्षति पहुंचने से कॉन्ट्रैक्टर को भारी नुकसान या हानि उठानी पड़ सकती है । इस प्रकार दावा होने की स्थिति में कॉन्ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त संपत्ति को अपनी लागत पर पुनःस्थापित करने के लिए संसाधन एकत्र करने की स्थिति में नहीं होगा ।

बीमा पॉलिसी स्वामी या कॉन्ट्रैक्टर या उप कॉन्ट्रैक्टर द्वारा ली जा सकती है ।

(2) आवरित जोखिम (अंतर्निहित) / आवरण :

बीमा अवधि के दौरान, बिल्डिंग स्थल पर किसी भी बीमित संपत्ति को पहुंची कोई आकस्मिक क्षति या अनदेखी हानि या क्षति की क्षतिपूर्ति की जाएगी । अत्यंत महत्वपूर्ण जोखिम है ...

अग्नि, दंगा और हड़ताल और संबंधित जोखिम, बाढ़, साइक्लोन इत्यादि, चोरी, सेंधमारी, निर्माण चूंके जैसे खराब सामान, काम करने की मानसिकता, गिरना, मानव चूकें / दक्षता की कमी या कामगारों की लापरवाही अपवर्जन के अधीन हैं ।

CONTRACTORS' ALL RISK (CAR)

(1) Introduction :

The basic concept of contractors all risk insurance is to offer comprehensive and adequate protection against loss or damage in respect of the contract works, construction plant and equipment and construction machinery, as well as for third party claims in respect of property damage or bodily injury arising in connection with the execution of a Civil Engg. Project.

Ordinarily a civil engineering contractor tenders for a job on the basis of design specifications provided by the principal or soil conditions, weather conditions etc. Contractor is required to construct **the civil engineering structure** on the basis of drawings and specifications for materials prescribed by the architect or structural engineers. His responsibility is restricted to construct as per the specifications and designs of the architect and/or designer.

Any loss or damage to the contract works during the course of the construction due to any cause will result in heavy financial loss to the contractor. Thus in the event of a claim, contractor will not be in a position to find resources for reinstating the damaged property at his cost.

The Insurance Policy can be taken by Principal or the contractor or sub contractor.

(2) Risks Covered (in Built) / Coverage :

Any sudden and unforeseen loss or damage occurring during the period of insurance to the property insured on the building site will be indemnified. The most important perils are...

Fire, Riot & Strike & allied perils, Flood, Cyclone, etc. Theft, Burglary, Construction Faults like defective material, workmanship, collapse, human errors/lack of skill or negligence of workers sub. To exclusion.

(तृतीय पक्ष देयता, भूकंप और आतंकवाद आवरण केवल अतिरिक्त प्रीमियम के साथ विस्तारण आवरण में उपलब्ध है ।)

(3) अपवर्जन (केवल महत्वपूर्ण अपवर्जन हैं) :

- गलत त्रुटिपूर्ण डिजाइन के कारण हानि ।
- खराब सामान और / अथवा मानवीय कार्यक्षमता से उत्पन्न दोषों के निवारण के लिए प्रतिस्थापन की लागत किंतु यह अपवर्जन, इस प्रकार के खराब सामान और / अथवा मानवीय कार्यक्षमता के कारण घटी दुर्घटना से उत्पन्न हानि या क्षति को अपवर्जित नहीं करती ।
- मैकेनिकल या इलैक्ट्रीकल ब्रेकडाउन या निर्माण संयंत्र, उपकरणों और निर्माण मशीनरी का अस्तव्यस्त होना ।

(4) अधिकार क्षेत्र :

यह भारत में स्थित सर्व जोखिम पर लागू है जिसके लिए शामिल सिविल वर्क का मूल्य कुल कॉन्ट्रैक्ट मूल्य के 50% से अधिक होगा ।

(5) बीमित राशि :

बीमित राशि का आधार निम्न अनुसार है :

क) निहित स्थान पर उतारे जानेवाले आयातित और/ या देशी मदों की उस समय की लागत

ख) प्रमुखव्यक्ति द्वारा आपूर्ति की गयी मुफ्त सामग्री की लागत

ग) निर्माण की लागत ।

घ) स्थायी सिविल इंजीनियरिंग वर्क ।

च) यदि वृद्धि का विकल्प लिया गया है तो वृद्धि दर का आधा ।

(6) उप-ठेकेदार :

पॉलिसी प्रधान / ठेकेदार / उप-ठेकेदार में से किसी के भी द्वारा ली जा सकती है ।

जहाँ उप-ठेकेदार परियोजना का भाग हों, ऐसे मामलों में, यह दावा किया जाता है कि इस बात के बावजूद कि परियोजना मूल्य विभिन्न अनुभागों में बांटा गया है और आदेश / ठेके अलग अलग सप्लाईकर्ताओं / ठेकेदारों / उप ठेकेदारों को दिये गए है अथवा बीमाधारक ने स्वयं अपने विभागों के माध्यम से काम किया है, इस प्रकार के सभी उप-ठेकों के लिए बीमा इन सामान्य नियामकों के अधीन होगा ।

(T.P. Liability Earthquake & Terrorism under extension cover with extra premium only)

(3) Exclusions (Only important exclusion taken) :

- Loss or damage due to faulty design
- Cost of replacement of rectification of defective material and/or workman ship, but this exclusion shall not be deemed to exclude loss or damage resulting from an accident due to such defective material and or workmanship.
- Mechanical and or electrical breakdown or derangement of constn, plant, equips. And constn. Machinery.

(4) Jurisdiction :

This applies to all Risks located in India, for which the value of the Civil Works involved is more than 50% of the total contract value.

(5) Sum Insured :

Basis of sum insured as under :

a) Landed cost of imported and/or indegenious items at site.

b) Cost of free issue materials supplied by principal.

c) Cost of construction.

d) Permanent Civil Engineering Works.

e) Half the escalated value, if escalation is opted for.

(6) Sub-Contractor :

The policy can be taken by either principal / contractor / sub contractor.

As regards sub-contracts forming part of a project, it is claimed that irrespective of whether the project value has been broken into various sections and orders/contracts are placed with different suppliers/contractors/sub-contractors or the insured's carry out the work themselves departmentally, the insurances for all such sub-contractors are subject to these General Regulation.